**<u>न्यायालयः— अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी सदर, सीतामढ़ी।</u>**

**परिवाद पत्र संख्या— 1475/2019**

तहरून खातुन..........................................................................परिवादनी

बनाम

अहमद अंसारी वो0..........................................................................अभियुक्तगण

<u>04.11.2023</u> अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतित होता है कि प्रस्तुत परिवाद पत्र परिवादनी तहरून खातुन द्वारा अभियुक्त अहमद अंसारी एवं 3 अन्य के विरूद्ध दिनांक 10.10.2019 को दायर की थी।

परिवादनी द्वारा उक्त तिथि से आज तक अपना शपथ पर बयान के अलावा एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। परिवादनी लम्बे समय से अनुपस्थित चली आ रही है। परिवाद पत्र लम्बे समय से सुनवाई हेतु चला आ रहा है।

परिवादनी के शपथ पर बयान के अवलोकन से परिवाद पत्र के नामित अभियुक्तों के विरूद्ध मामला चलाने हेतु पर्याप्त आधार बनता प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप परिवादनी द्वारा दायर परिवाद पत्र को धारा— 203 द0प्र0स0 के अन्तरर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार मे जमा करें।

लेखापित

Sd/-
S.D.J.M. Sadar
Sitamarhi